

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

अधिसूचना

27 मई, 2011 ई0

सं0 929/77-4-11-158 एन0/85-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 9 की उपधारा (2) और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2011

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(एक) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2011 कही जाएगी।

(दो) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-विनियम 24.4 का संशोधन-नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1					स्तम्भ-2				
विद्यमान विनियम					एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम				
भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात एवं ऊंचाई					भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात एवं ऊंचाई				
24.4 वाणिज्यिक भवन					24.4 वाणिज्यिक भवन				
क्र0	उपयोग	अधिकतम भू-आच्छादन	अधिकतम फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम ऊंचाई मी0 में	क्र0	उपयोग	अधिकतम भू-आच्छादन	अधिकतम फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम ऊंचाई मी0 में
1	सुगम विपणन केन्द्र	40%	2.0	24.0	1	सुगम विपणन केन्द्र	40%	2.0	24.0
2	सेक्टर विपणन केन्द्र	40%	2.0	24.0	2	सेक्टर विपणन केन्द्र	40%	2.0	24.0
3	उप जिला केन्द्र, महायोजना मार्ग किनारे विपणन/वाणिज्यिक उपयोग तथा सेक्टरों में अन्य महायोजना स्तरीय विपणन/वाणिज्यिक केन्द्र				3	उप जिला केन्द्र, महायोजना मार्ग किनारे विपणन/वाणिज्यिक उपयोग तथा सेक्टरों में स्थित अन्य महायोजना स्तरीय विपणन/वाणिज्यिक केन्द्र	40%	4.0	सीमा नहीं
	(i) 60 मी0 तक चौड़े मार्ग पर	30%	3.0	सीमा नहीं					
	(ii) 60 मी0 तक से अधिक चौड़े मार्ग पर	30%	4.0	सीमा नहीं					
4	होटल	30%	3.0	सीमा नहीं	4	होटल	40%	3.0	सीमा नहीं
5	बैंक	30%	1.5	सीमा नहीं	5	बैंक	40%	2.0	सीमा नहीं
6	शिनेमा/मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स	30%	शासकीय नीति के अनुसार	सीमा नहीं	6	शिनेमा/मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स	40%	2.0	सीमा नहीं
7	वेयर हाउसिंग/गोदाम	60%	1.8	सीमा नहीं	7	वेयर हाउसिंग/गोदाम	60%	2.0	सीमा नहीं
8	-	-	-	-	8	सिटी सेंटर	45%	4.8	सीमा नहीं

टिप्पणी-प्राधिकरण 4 हेक्टेयर तथा इससे बड़े आकार के वाणिज्यिक भूखण्डों में अनुमन्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के अधिकतम 30% को आवासीय क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात कर सकता है, परन्तु पूर्ण भूखण्ड पर वाणिज्यिक भूमि की दर लागू होगी।

3-विनियम 24.6 का संशोधन-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ-1				स्तम्भ-2					
विद्यमान विनियम				एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम					
24.6 हरित क्षेत्र				24.6 हरित क्षेत्र					
क्र० सं०	क्रियायें	अधिकतम अनुमन्य भू-आच्छादन	अधिकतम अनुमन्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई (मी०)	क्र० सं०	क्रियायें	अधिकतम अनुमन्य भू-आच्छादन	अधिकतम अनुमन्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई मी० में
1	क्रीडा एवं आमोद संकुल (स्पोर्ट एवं एम्प्लूजमेंट कांम्प्लेक्स) तरणताल, शूटिंग रेंज, स्टेडिया, मनोरंजन ग्रीन/ग्रीन पार्क कांम्प्लेक्स खेल सुविधाओं सहित	20%	0.40+0.20 क्रय योग्य	24.0	1	क्रीडा संकुल/स्टेडियम	20%	0.40+0.20 क्रय योग्य	24.0
2	निम्न घनत्व क्रीडा, एवं आमोद संकुल मनोरंजन क्लब, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र	10%	0.20+0.10 क्रय योग्य	24.0	2	आमोद संकुल	20%	0.40+0.20 क्रय योग्य	24.0
3	संस्थागत हरित	35%	0.80+0.20 क्रय योग्य	केवल संस्थागत सुविधाओं के लिए	3	मनोरंजन हरित	20%	0.40+0.20 क्रय योग्य	24.0
4	नर्सरी	50 वर्ग मी०	50 वर्ग मी०	6.0	4	संस्थागत हरित	35%	0.80+0.20 केवल संस्थागत क्रियायों हेतु क्रय योग्य	सीमा नहीं
5	-	-	-	-	5	स्पोर्ट सिटी*	30%	1.50	सीमा नहीं

टिप्पणी-*प्राधिकरण समय-समय पर यथा अपेक्षित स्पोर्ट सिटी परियोजना के विकास हेतु भू-उपयोग पद्धति, अनुमन्य क्रिया-कलापों यथा आवासीय, वाणिज्यिक आदि के मिश्रण, नियोजन मानक तथा योजना में अन्य आवश्यक शर्तों का अवधारण करेगा। फिर भी न्यूनतम 70% भूमि का उपयोग खेलकूद तथा सम्बन्धित सुविधाओं के लिए किया जायेगा 70% भूमि में आवश्यक सभी खेलकूद तथा सम्बन्धित सुविधाओं के बाद अप्रयुक्त एफ०ए०आर० के भाग का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए अनुमन्य किया जायेगा।

आज्ञा से,
वी० एन० गर्ग,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 246 of the Constitution of India.

2. An
regulations,
low, the re
COMM

Ground Co

Convenient
Sector Shop
Sub-District
Commercial
roads and
level Sh
Centres in s
(i) upto 60
Hotel
Banks
Cinema N

7 Warehou
8

No
activities
e that of
3.
Column 1

Sl.
no.

Sports
Comp
Pool,
Recr

